

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10597 / 1055

दिनांक :- 28.05.2019

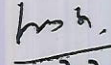
कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री सुमन गुर्जर [लिंक न. 10597] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला कलक्टर (भू अभिलेख), राजस्व विभाग, सीकर - [7000124] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 31/12/2018 से 21/01/2019 तक 22 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 22 दिवस

उक्त कुल 22 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती / सुश्री सुमन गुर्जर की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10597 / 1055

दिनांक :- 28.05.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर (भू अभिलेख), राजस्व विभाग, सीकर
2. कोषाधिकारी सीकर
3. श्री/श्रीमती / सुश्री सुमन गुर्जर [10597] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला कलक्टर (भू अभिलेख), राजस्व विभाग, सीकर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)